भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	250167,66,30	233603,19,93
जमा राशियाँ		7943,82,20	6036,99,13
उधार राशियाँ	3	3274160,62,54	2940541,06,11
Borrowings	4	332900,67,03	413747,66,10
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	331427,10,24	293642,82,22
योग		4197492,34,43	3888464,19,61
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	166968,46,05	177362,74,09
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	87346,80,31	48149,52,30
निवेश	8	1228284,27,77	1119269,81,62
अग्रिम	9	2374311,18,12	2226853,66,72
अचल आस्तियाँ	10	40078,16,81	40703,05,26
अन्य आस्तियाँ	11	300503,45,37	276125,39,62
योग		**4197492,34,43**	**3888464,19,61**
आकस्मिक देयताएँ	12	1221083,11,09	1121246,27,83
वसूली के लिए बिल		55790,69,54	70047,22,64
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
एमडी
(आर एंड डीबी)

श्री अरिजित बसु
एमडी
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी
(जीबीएस)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री राजेश सेठी
पार्टनर
स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 क्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 11,03,42,880 इक्विटी शेयर भी शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रति ₹ 1 के 12,10,71,350 इक्विटी शेयर) इन्हें 1,10,34,288 वैश्विक जमा रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है (पिछले वर्ष 1,21,07,135)		
योग	**892,46,12**	**892,46,12**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	66344,10,03		65958,04,13	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4538,17,61		386,05,90	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		70882,27,64		66344,10,03
II. पूंजी आरक्षित निधियाँ #				
अथशेष	9957,28,52		9578,07,76	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3985,83,93		379,20,76	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		13943,12,45		9957,28,52
III. शेयर प्रीमियम				
अथशेष	79115,47,05		79124,21,51	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		37,92	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		9,12,38	
		79115,47,05		79115,47,05
IV. उतार चढ़ाव रिज़र्व				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1119,88,09		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		1119,88,09		-

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V. निवेश और उतार-चढ़ाव रिजर्व				
अथशेष	7455,38,21		6379,09,54	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3069,98,94		1143,03,70	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	301,34,68		66,75,03	
		10224,02,47		7455,38,21
VI. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां				
अथशेष	24653,94,08		24847,98,65	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	379,57,78		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1270,85,29		194,04,57	
		23762,66,57		24653,94,08
VII. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां				
अथशेष	54405,42,03		53483,27,03	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3767,84,51		1213,96,33	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	5691,30,26		291,81,33	
		52481,96,28		54405,42,03
VIII. लाभ और हानि खाते की शेष		(1361,74,25)		(8328,39,99)
योग		**250167,66,30**		**233603,19,93**

समेकन पर निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष ₹176,5।27 हजार (पिछला वर्ष ₹123,66,46 हजार)

शुद्ध समेकन समायोजन

अनुसूची 3 - जमा-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. I. माँग जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	4750,67,24	6722,18,31
(ii) अन्य से	224677,63,39	201073,14,59
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	1216783,00,49	1102172,37,48
III. सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	6071,72,75	8235,22,81
(ii) अन्य से	1821877,58,67	1622338,12,92
योग	**3274160,62,54**	**2940541,06,11**
ख. I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	3122567,41,87	**2812134,71,07**
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	151593,20,67	128406,35,04
योग	**3274160,62,54**	**2940541,06,11**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में उधार-राशियाँ**				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		34981,75,00		96089,00,00
	(ii) अन्य बैंक		10041,13,63		4741,05,31
	(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		11419,94,71		32112,46,32
	(iv) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	23535,70,00		19152,30,00	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	32929,05,15	56464,75,15	29153,93,90	48306,23,90
योग			**112907,58,49**		**181248,75,53**
II.	**भारत के बाहर से उधार-राशियाँ**				
	(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		217066,00,49		229909,13,07
	(II) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	2269,95,00		2074,65,00	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	657,13,05	2927,08,05	515,12,50	2589,77,50
योग			**219993,08,54**		**232498,90,57**
कुल योग (I व II)			**332900,67,03**		**413747,66,10**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ			50555,91,20		127177,07,29

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
i.	संदेय बिल	26889,76,23	23914,03,90
ii.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	85,41,80	-
iii.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	10,35,41	21735,79,14
iv.	उपचित ब्याज	15477,09,06	14232,96,48
v.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	6,60,61	4,17,10
vi.	इंश्योरेंश व्यवसाय में पॉलिसीधारक संबंधी देयताएं	159661,49,04	140095,62,31
vii.	स्टैंडर्ड आस्ति के लिए प्रावधान	12444,21,66	12709,13,43
viii.	अन्य (प्रावधान सहित)	116852,16,43	80951,09,86
योग		**331427,10,24**	**293642,82,22**

अनुसूची 6 - नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	20334,94,93	19144,28,44
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
I.	चालू खाते में	146633,51,12	158197,60,63
II.	अन्य खाते में	-	20,85,02
योग		**166968,46,05**	**177362,74,09**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	638,49,62	971,83,35
(ख) अन्य जमा खातों में	1429,61,02	1959,46,21
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	44747,71,31	4608,88,73
(ख) अन्य संस्थाओं में	8,69,42	-
योग	**46824,51,37**	**7540,18,29**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	30104,93,22	20571,96,27
(ii) अन्य जमा खातों में	1672,52,29	3205,38,56
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	8744,83,43	16831,99,18
योग	**40522,28,94**	**40609,34,01**
कुल योग (i एवं ii)	**87346,80,31**	**48149,52,30**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश:		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	872769,55,20	817674,70,52
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	19106,17,68	13769,53,82
(iii) शेयर	42165,97,57	42825,92,12
(iv) डिबेंचर और बांड	145276,27,74	123765,40,08
(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां	12365,01,58	3383,71,53
(vi) अन्य (म्युचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर आदि)	85958,98,41	63902,23,56
योग	**1177641,98,18**	**1065321,51,63**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरणों की भी सम्मिलित हैं)	20791,80,59	14513,99,84
(ii) सहयोगी	147,64,44	136,33,52
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर आदि)	29702,84,56	39297,96,63
योग	**50642,29,59**	**53948,29,99**
कुल योग (I एवं II)	**1228284,27,77**	**1119269,81,62**
III. भारत में निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1190907,75,38	1076615,05,40
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	13265,77,20	11293,53,77
निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	1177641,98,18	1065321,51,63
IV. भारत के बाहर निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	50809,67,49	54146,46,58
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	167,37,90	198,16,59
निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	50642,29,59	53948,29,99
कुल योग (III एवं IV)	1228284,27,77	1119269,81,62
एसोसिएट्स में इक्विटी निवेश		
जोड़ें: एसोसिएट्स के अधिग्रहण पर सद्भावना	8872,23,62	706,97,00
घटाएं: एसोसिएट्स के अधिग्रहण पर पूंजी रिजर्व	-	-
(कृपया अनुसूची 18 का नोट क्र.1.1(h) देखें)	1947,52,79	-
घटाएं: कमी के लिए प्रावधान	-	-
एसोसिएट्स में निवेश की लागत	6924,70,83	706,97,00
जोड़े: अधिग्रहण के बाद लाभ/(हानि) और एसोसिएट्स के रिजर्व (इक्विटी विधि)	5583,95,19	2809,08,05
योग	**12508,66,02**	**3516,05,05**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
क) I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	85155,97,89	81528,37,41
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	729647,05,50	799218,03,33
III. सावधि ऋण	1559508,14,73	1346107,25,98
योग	**2374311,18,12**	**2226853,66,72**
ख) I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1697284,07,32	1603654,21,87
II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	92305,71,86	80289,66,46
III. अप्रतिभूत	584721,38,94	542909,78,39
योग	2374311,18,12	2226853,66,72
ग) I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	526675,87,35	520729,77,60
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	287505,82,43	240295,89,39
(iii) बैंक	975,10.49	9494,93,60
(iv) अन्य	1171958,80,62	1127585,24,83
योग	**1987115,60,89**	**1898105,85,42**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
II.	भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	80561,91,32	69802,85,72
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	31106,22,11	26741,06,57
	(ख) सिंडीकेट ऋण	186697,53,45	150765,88,72
	(ग) अन्य	88829,90,35	81438,00,29
योग		**387195,57,23**	**328747,81,30**
कुल योग [(ग -i एवं ग -ii)]		**2374311,18,12**	**2226853,66,72**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**परिसर**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित परिसर	31600,97,61		30933,23,37	
	परिवर्धन:				
	- वर्ष के दौरान	307,09,16		707,34,92	
	- पुनर्मूल्यांकन के लिए	3936,14,00		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	- लागत पर	14,82,49		39,60,68	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	4735,02,74		-	
	Depreciation to date:				
	- on cost	927,92,12		793,71,67	
	- on Revaluation	670,54,22	29495,89,20	497,17,97	30310,07,97
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पुनर्मूल्यांकन पर	33185,43,15		31649,29,47	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3768,90,47		3018,06,52	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	933,14,28		1481,92,84	
	अद्यतन मूल्यह्रास	26053,57,37	9967,61,97	23627,73,26	9557,69,89
III.	**लीज्ड आस्तियां**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पुनर्मूल्यांकन	155,09,22		120,02,20	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	102,00,56		35,64,65	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	16,70,94		57,63	
	अद्यतन मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	95,49,35		82,11,57	
		144,89,49		72,97,65	
	घटाएं : लीज समायोजन खाता	-	144,89,49	-	72,97,65
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		469,76,15		762,29,75
योग (I, II, III एवं IV)			**40078,16,81**		**40703,05,26**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1936,15,88	7,71,53
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	-	123,67,98
III. प्रोद्भूत ब्याज	29344,58,26	29047,16,58
IV. अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	35004,45,14	24699,95,89
V. लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	105,33,37	133,99,80
VI. दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	14,54,49	23,65,84
VII. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	3500,19,46	10983,19,07
VIII. नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गई जमाराशियां	163238,91,62	138245,29,37
IX. अन्य #	67359,27,15	72860,73,56
योग	**300503,45,37**	**276125,39,62**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹1549,98,82 हजार (पिछले वर्ष ₹1734,07,01 हजार)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताए

(000s omitted)

	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I. समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	72055,46,41	43964,90,09
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि के लिए देयता	2555,80,84	1127,87,61
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	637499,92,10	597800,34,53
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	165739,85,02	157417,08,56
(ख) भारत के बाहर	70998,07,06	72739,27,63
V प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	132630,74,41	124526,15,33
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	139603,25,25	123670,64,08
योग	**1221083,11,09**	**1121246,27,83**
Bills for collection	**55790,69,54**	**70047,22,64**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2020 को समेकित लाभ/हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसा (पिछला वर्ष) ₹
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13	269851,65,54	253322,17,41
	अन्य आय	14	98158,99,38	77365,18,53
	योग		**368010,64,92**	**330687,35,94**
II.	व्यय			
	व्यय किया गया ब्याज	15	161123,79,86	155867,46,03
	परिचालन व्यय	16	131781,56,30	114800,30,80
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		56928,45,91	56950,51,70
	योग		**349833,82,07**	**327618,28,53**
III.	लाभ/(हानि)			
	निवल लाभ/(हानि) वर्ष के लिए (एसोसिएट एवं आधे से कम हिस्सेदारी वाली संस्थाओं के लाभ में अंश के समायोजन से पूर्व)		18176,82,85	3069,07,41
	जोड़ें: एसोसिएट के लाभ में शेयर		2963,14,04	281,47,94
	घटाएं: आधे से कम हिस्सेदारी वाली संस्थाओं का/की		1372,16,67	1050,91,44
	समूह का निवल लाभ/(हानि)		19767,80,22	2299,63,91
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)		(8328,39,99)	(9941,19,94)
	योग		**11439,40,23**	**(7641,56,03)**
IV.	विनियोजन			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		4538,17,61	386,05,90
	वर्ष के दौरान डिविडेंड		8254,91,35	243,79,58
	डिविडेंड पर कर		8,05,52	56,98,48
	तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष		(1361,74,25)	(8328,39,99)
	योग		**11439,40,23**	**(7641,56,03)**
	प्रति शेयर मूल आय		₹ 22.15	₹ 2.58
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 22.15	₹ 2.58
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
एमडी
(आर एंड डीबी)

श्री अरिजित बसु
एमडी
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी
(जीबीएस)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री राजेश सेठी
पार्टनर
स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	185494,19,47	166124,58,30
II.	निवेशों पर आय	74812,87,02	80243,50,66
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	3066,24,77	1324,75,88
IV.	अन्य	6478,34,28	5629,32,57
योग		**269851,65,54**	**253322,17,41**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	23571,28,64	22801,37,60
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)#	9202,71,19	3933,13,61
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	-	(2124,03,82)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों लीज़्ड आस्तियों सहित की बिक्री पर लाभ/(हानि) (निवल)	(28,33,75)	(32,35,82)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2581,57,85	2209,07,07
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों/से लाभांश	14,66,77	11,71,87
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/ सेवा शुल्क	4122,14,91	3179,78,08
IX.	इंश्योरेंस प्रीमियम आय (निवल)	43176,55,90	35225,02,54
X.	बट्टे खाते से की गई वसूली	9568,52,52	8607,44,37
XI.	विविध आय	5949,85,35	3554,03,03
योग		**98158,99,38**	**77365,18,53**

निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) असाधारण मदों सहित ₹5781.56 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 466.48 करोड़)

Schedule 15 - Interest Expended

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	148136,84,44	140920,19,82
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	7191,76,51	10103,57,61
III.	अन्य	5795,18,91	4843,68,60
योग		**161123,79,86**	**155867,46,03**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	48850,94,64	43795,01,41
II.	भाड़ा, कर और लाइटिंग	5630,95,83	5553,08,91
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	651,58,62	595,00,09
IV.	विज्ञापन और प्रचार	2830,69,52	2360,81,37
V.	(क) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (लीज्ड आस्तियों के अतिरिक्त)	3631,44,29	3479,97,41
	(ख) लीज्ड आस्ति पर मूल्यह्रास	30,11,56	15,91,80
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	11,15,54	9,71,04
VII.	लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	256,01,79	307,00,17
VIII.	विधि प्रभार	488,83,43	578,53,06
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	571,68,38	568,56,57
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	1121,27,27	1057,77,33
XI.	बीमा	3235,50,89	2860,59,09
XII.	क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित अन्य परिचालन व्यय	1542,56,89	1105,59,01
XIII.	बीमा व्यवसाय से संबंधित अन्य परिचालन व्यय	46728,37,12	37907,82,48
XIV.	अन्य व्यय	16200,40,53	14604,91,06
योग		**131781,56,30**	**114800,30,80**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी म्यूचुअल फंड्स) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारत में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं। विदेशी संस्थाओं के मामले में विदेशी संस्थाओं पर लागू सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंध-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते है। इन अनुमानों में किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन की अवधि से संभावित रूप से मान्यता दी जाती है ।

ग. समेकन का आधार

1. समूह (जिसमें 28 अनुषंगियां, 8 संयुक्त उद्यम और 18 सहयोगी शामिल हैं) के वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।

ख. लेखा मानक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार सभी अंतः समूह महत्वपूर्ण बकाया/लेनदेन, अवसूल लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है, वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की ऑस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक -27 "संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना " के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

घ. सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण "इक्विटी पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण" के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षितों के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

क. जिस तिथि को अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इक्विटी - राशि, और

ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/ हानि(इक्विटी) में अल्पांश शेयर का उतार चढ़ाव।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय

को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/ छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर निर्धारण दिखाया गया है जो इनके अतिरिक्त हैः (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को ठट्रेडिंगड नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि ठपरिपक्वता तक धारितड श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाकर) "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टे" के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया गया है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के रुझान पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 ठपरिपक्वता तक धारितड श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

i) ब्याज सहित प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ii) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को शामिल किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और ज्पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्कट पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से शामिल किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर शामिल की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से खर्च में दिखाया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, :-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को करता है तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयां

मर्चेण्ट बैंकिंग :

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार और सुपुर्द कार्य को पूर्ण करने के चरण के आधार पर निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी स्थानन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टांप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आवंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिखा गया है।

ङ. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय-वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन

क. संबंधित योजनाओं में विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय से शामिल किया गया है। उन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है। (इसमें जहां लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा के शर्तों के अनुसार, संविभाग प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप मे माना गया है।

घ. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।

असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर प्रदान दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में रियायत वापसी अवधि के दौरान परिशोधित किया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की गत अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों को फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता है। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएफ) की गणना की गई है और अगले संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। 01 मई को एसीफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा :

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, एसोसिएटेड इकाइयों के आवंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप मे समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं : पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

घ. इक्विटि प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में वसूल हुए लाभ एवं हानियों की गणना निवल बिक्री आगम राशियों और उनकी लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, वसूल हुए लाभ एवं हानि की गणना निवल बिक्री आगम राशियों या मोचन अगाम राशियों और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में लागत की गणना भारित औसत पद्धति से की जाती है।

ङ. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पीआर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

च. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई सीधे अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

छ. दिए गए लाभ :

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब से देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ज. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

झ. **जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमांकिक देयता की गणना बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों व विनियमों तथा परिपत्रों के अनुसार और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रीमियम जिसमें स्वीकृत की गई पुनर्बीमा शामिल है, को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बहियों में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किश्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अविध में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम के शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्र में हिसाब में लिया गया है।

ड. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरुआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया जाता है। पुनर्बीमा एवं सह-बीमा व्यवस्था से क्रमशः पुनर्बीमाकर्ताओं/सह- बीमाकर्ताओं से प्राप्त राशि को एक साथ दावे के अंतर्गत लिया गया है। प्रबंधन के द्वारा तुलन पत्र की तिथि को पुनर्बीमा, निस्तारण मूल्य और अन्य प्राप्तियां बकाया दावा के रूप में प्रावधान किया गया है।

छ. दावा देयताओं के संबंध में प्रावधान जो किसी लेखा वर्ष की समाप्ति के पूर्व उत्पन्न हुए होते परंतु

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या
- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया गया है, (अर्थात् इस टिप्पणी के साथ सूचित किया गया है कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनईआर)।

प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीएआई की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक व्यवहार सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क की गणना संबंधित योजनाओं के तहत स्वीकृत विशिष्ट दरों पर जो प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लगाई गई है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर / वस्तू एवं सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

क. म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस की गणना संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर की गई है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कहीं लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

ख. कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस की गणना ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर की गई है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार की गणना ग्राहकों के साथ हुई ट्रस्टीशिप संविदाओं/ करारों के अनुसार की गई है / प्रोद्भूत हुई है।

ग. ऑनलाइन “वसीयतनामा” सेवाओं से प्राप्त आय की गणना तब की जाती है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसी आय की निश्चित गणना इस समय ऐसे अधिकार प्राप्त होने पर की जाती है।

आंतरिक संरचना और सुविधा प्रबंधन :

उक्त संविदागत कार्य जब भी वेंडर को दिया जाता है और वेडंर द्वारा कार्य तय करार के अनुसार पूरा किया जाता है तो प्रबंधन से प्राप्त आय और परामर्श फीस को हिसाब में लिया जाता है।

व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय:

क. छूट, जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर, प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने के आधार पर आय की गणना जाती है और सेवाओं के पूरा किए जाने आय को हिसाब में लिया है।

ख. पीओएस स्थापित करने पर होने वाली आय या तो सेवा देने की अवधि के दौरान या तय की गई दरों और शर्तों में निर्दिष्ट के अनुसार अवधि के दौरान संसाधित लेनदेन की संख्या के आधार पर हिसाब में लिय जाता है।

ग. आय प्राप्त लेकिन रखरखाव तैनाती अनुबंध के खाते द्वारा अर्जित नहीं मानी जाती है। आय को आस्थगित किया और देनदारियों में शामिल तब माना जाता जब तक कि आय मान्यता मानदंड पूरा नहीं किया जाता है। अर्जित आय, लेकिन बिल नहीं की गयी का अर्थ है किए गए कार्य पर प्राप्त आय, लेकिन अनुबंध की शर्तों के आधार पर बाद की अवधि में बिल की गई मानी जाती है ।

घ. मर्चेंट एक्वायरिंग की सेवाएं प्रदान करने की आय को पूरी लागत और ऐसी लागतों की बढ़ी हुई लागत के रूप में दर्शाया जाता है।

ङ आय उस सीमा तक मान्य है बशर्ते है की आर्थिक लाभ होगा और आय को ठीक से मापा जा सकता है

2. निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को “निपटान तिथि” (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि परिपक्वता (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और ट्रेडिंग के लिए रखे गए (एचएफटी) । भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूची 8 में बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के उद्देश्य से, (I) भारत में निवेशट को छह समूहों (i) सरकारी प्रतिभूतियों, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, (iii) शेयरों, (iv) डिबेंचर एंड बांड, (v) सहायक कंपनियों और एसोसिएट्स और (vi) अन्य और (II) ञ्भारत के बाहर निवेशट तीन श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जाता है - (i) सरकारी प्रतिभूतियां, द्वितीय) एसोसिएट्स और (iii) अन्य निवेश

2.2 वर्गीकरण का आधार:

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें ठपरिपक्वता तक धारित (एचटीएम)ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है उन्हें “व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है उन्हें ठविक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय ठपरिपक्वता तक धारितड, ठविक्रय के लिए उपलब्धड या ठव्यवसाय के लिए रखे गएड के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. सहयोगियों में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सिवाय उन निवेशों के संबंध में जो अधिग्रहीत किए जाते हैं और इसके बाद के निपटान की दृष्टि से विशेष रूप से रखे जाते हैं । इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन:

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने मेंः

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. निवेश की लागत का निर्धारण, समूह की संस्थाओं द्वारा ठविक्रय के लिए उपलब्धड एवं ठव्यवसाय के लिए रखे गएड श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं एसबीआई द्वारा ञ्परिपक्वता तक धारितट श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है तथा समूह की अन्य संस्थाओ द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के तहत किया गया है।

ii एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **परिपक्वता तक धारित श्रेणी:** “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को ठनिवेश पर ब्याजड शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर आईसीएआई के लेखा मानक 23 के अनुरूप मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन

विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यहास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख. इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग. यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ. ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क. रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/ अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

ख. बीमा व्यवसाय :

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में, निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआर डीएआई (निवेश) विनियम, 2016, कंपनी और आईआरडीए (बीमा कपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण) विनियम, 2002, कंपनी का निवेश नीति और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा तथा निर्गमित विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या डिस्काउंट की अभिवृद्धि के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रुमेंट्स और प्रेफ्रेन्स शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एनएसई' पर बाजार बंद होने के समय शामिल किया जाता है। यदि एनएसई का बाजार बंद होने का मूल्य उपलब्ध न हो तो द्वितीयक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') के बंद होने के मूल्य को शामिल किया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, इक्विटी संबंधित लिखतों और अधिमान शेयरों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उपर्युक्तानुसार इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटीट के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ "आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)" में और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)" क्रमशः तुलनपत्र में लिए गए हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है एक वर्ष से कम परिपक्वत अवधी वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों परिपक्वता पर प्रतिफल आधार पर किया जाता है यदि प्रतिफल का मूल्य क्रिसिल द्वारा प्रदत उस बाजार मूल्य का उपयोग किया जाता है जो प्रतिभूति को अल्पवादी के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले दिनका होता हैं। यदि प्रतिभूति उसकी अल्पावादी के दौरान खरीदी जाती है तो परिपक्वता पर प्रतिफल पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत का मूल्यांकन किया जाता है। अगर प्रतिभूति में ऑप्शन हो तो प्रारंभिक कॉल ऑप्शन/ पुट ऑप्शन की तिथि को परिपक्वता तिथि के रूप में लिया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन या परिपक्वता आधार पर बट्टा की दशा में मुद्रा बाजार प्रतिभूति को ऐतिहासिक दर पर मूल्य अंकित किया जाता है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य पर किया गया है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटीट के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँः

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ठअसंगतड (ठआउट ऑफ आर्डर)ड रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया हैः

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि होने की जानकारी मिली है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ:		
- प्रतिभूत भाग	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग	100%	
हानिप्रद आस्तियाँ :	100%	

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है।

उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ठअन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्यड शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 एनपीए में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता हैः

क. प्रभार

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग. मूलधन

तथापि, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मामलों के माध्यम से समझौता और समाधान/निपटान में वसूली संबंधित समझौते /समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है । वाद दायर खातों के मामले में, संबंधित अदालतों के निर्देशों के अनुसार वसूली विनियोजित की जाती है

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के “अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य” शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से “उचंत खाता कुल प्राप्य” में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से “उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम” में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 घरेलू परिचालन के संदर्भ में मूल्यह्रास की दर और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति निम्नलिखित हैः

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/ क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता हैः परिसर - 60 वर्ष वाहन - 5 वर्ष सुरक्षित जमा लॉकर - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

8. पट्टेः

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यताः

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभावः

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (स्पॉट/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के

प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को तुलनपत्र की तिथि लागू स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं स्पॉट दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. एसबीआई एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। एसबीआई निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नियत कर्मचारी हित लाभ योजना भविष्य निधि में अंशदान करता है। भविष्य निधि का प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। अवधि के दौरान दिए गए या देय अंशदान लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसके लिए कर्मचारी ने संबंधित सेवा ली है। साथ ही स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है और सांविधिक दर से देयता की तुलना में अंशदान के लिए देय ब्याज की कमियों की पहचान (यदि कोई हो) करता है।

ख. समूह अलग से ग्रेच्युटी योजना परिचालित करता है जिसके नियत हितलाभ हैं। समूह सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ग. एसबीआई सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

घ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

113 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय कानूनों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

यह समूह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड के रूप में मान्यता देता है ।

13. आय पर कर:

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो "आय पर कर लेखा" से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जो तुलन-पत्र की तिथि को लागू है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंध-मंडल के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में कैरी फॉरवर्ड तभी किया जाए जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर पर खर्च मुख्य एवं अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा कर पर खर्च का लागू विनियमों के अनुरूप कुल योग है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 ठप्रति शेयर आयड के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों का प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है।

इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

15.3 एसबीआई के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

एसबीआई अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। एसबीआई इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। एसबीआई सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

19. नकद और नकद समकक्ष

नकदी जमा राशि में भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियां शामिल हैं।

अनुसूची 18

लेखा-टिप्पणियां

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 28 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 18 एसोसिएट्स 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित जो वर्ष के दौरान विलय /एक्जिट की संबंधित तिथियों तक/ से (जो भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य संस्था के साथ-साथ समूह का गठन) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में शामिल किया गया है, वे हैं

क. अनुषंगियां :

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह की हिस्सेदारी (%) वर्तमान वर्ष	समूह की हिस्सेदारी (%) पिछला वर्ष
1)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	100.00	100.00
2)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	100.00	100.00
3)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	100.00	100.00
4)	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.	भारत	100.00	100.00
5)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	100.00	100.00
6)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
7)	एसबीआई डीएचएफआई लि.	भारत	72.17	72.17
8)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	86.18	86.18
9)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	भारत	100.00	100.00
11)	एसबीआई पेमेंट सर्विसज प्रा.लि. @	भारत	74.00	74.00
12)	एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.	भारत	92.60	92.60
13)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	57.60	62.10
14)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड @	भारत	70.00	70.00
15)	एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड @	भारत	69.51	74.00
16)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्वि. प्रा.लि.@	भारत	65.00	65.00
17)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
18)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड @	मॉरीशस	63.00	63.00

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम		समूह की हिस्सेदारी (%)	
		निगमन-देश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
19)	कमर्शियल इंडो बैंक एलआईसी, मास्को @	रूस	60.00	60.00
20)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	100.00	100.00
21)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
22)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	अमेरिका	100.00	100.00
23)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	100.00	100.00
24)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	100.00	100.00
25)	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	96.60	96.60
26)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
27)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.00	55.00
28)	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो शेयरधारकों के समझौते के संदर्भ में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं हैं। हालाँकि, इन्हें एएस 21 ठसमेकित वित्तीय विवरणड के अनुसार सहायक कंपनियों के रूप में समेकित किया गया है क्योंकि इन कंपनियों में एसबीआई की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।

पिछले साल एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सब्सिडियरी) को भी शामिल किया गया था । इसे एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ 1 अप्रैल, 2018 से मिलाया गया था। कृपया नोट नंबर 1.1 का उल्लेख करें। (क) नीचे

ख. संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी - ऐज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	49.00	49.00
2)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लि.	भारत	45.00	45.00
3)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
4)	मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	45.00	45.00
5)	मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड	बेरमुडा	45.00	45.00
6)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
8)	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	30.00	30.00

ग. सहयोगी:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम		समूह का हिस्सा (%)	
		निगमन-देश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
12)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
16)	दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	20.05	20.05
17)	यस बैंक लिमिटेड (14 मार्च 2020 से)	भारत	48.21	-
18)	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

- पिछले वर्ष कावेरी ग्रामीण बैंक, लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक और मालवा ग्रामीण बैंक (31 दिसंबर, 2018 तक) को भी शामिल किया गया था। इन्हें अब आरआरबी में मर्ज कर दिया गया है जो एसबीआई द्वारा प्रायोजित नहीं हैं।

कृपया नीचे नोट नंबर 1.1 (f) देखें जिसमें एसबीआई द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय से संबंधित विवरण है।

क) एनसीएलटी के 04 जून, 2019 के आदेश के अनुसार एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एक अनुषंगी) को एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एक सहायक) के साथ 01 अप्रैल, 2018 से विलय किया हैतक जीवित इकाई के साथ मिलाया गया है और बाद में यही उत्तरजीवी ईकाई रहेगी।

दिनांक 20.08.2020 से एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया है।

मार्च 2020 के महीने में एसबीआई ने सार्वजनिक ऑफर के जरिए एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में अपनी 4.00% हिस्सेदारी बेची थी। इसी पब्लिक ऑफर में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के 10-10 के फेस वैल्यू के 6,622,516 इक्विटी शेयरों का नया इश्यू आया।

नतीजतन एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी 74.00% से घटकर 69.51% रह गई है।

ख) जून 2019 के महीने के दौरान एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। (एक सहायक कंपनी) ने एसबीआईकैप (यूके) लिमिटेड (एक स्टेप डाउन सब्सिडियरी) में जीबीपी 2 लाख रुपये के बराबर 1.77 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी का संचार किया है।

अगस्त 2019 के महीने के दौरान, एसबीआईकैप (यूके) लिमिटेड के बोर्ड ने एसबीआईकैप (यूके) लिमिटेड के संचालन को समाप्त करने और यूके में वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) को अपना लाइसेंस सरेंडर करने को मंजूरी दे दी। एसबीआईकैप (यूके) का परिचालन 30.11.2019 को बंद हुआ था। मार्च 2020 के महीने में एसबीआईकैप (यूके) ने अपनी पूंजी और भंडार में शेष राशि को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को वापस भेज दिया है।

ग) अगस्त 2019 के महीने के दौरान एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) ने एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड (एक स्टेप डाउन सब्सिडियरी) में 10.40 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी का संचार किया है। एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी जस की तस बनी हुई है।

घ) सितंबर 2019 के महीने में एसबीआई ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एक अनुषंगी) में अपनी 4.50% हिस्सेदारी बेची। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी 62.10% से घटकर 57.60% रह गई है।

ङ) दिसंबर 2019 के महीने में नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड ने एसबीआई को 27,88,253 बोनस शेयर जारी किए हैं, जो 27.88 करोड़ हैं और। 17.47 करोड़ रुपये के बराबर है। नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी जस की तस बनी हुई है।

च) वर्ष के दौरान, एसबीआई ने प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में अतिरिक्त पूंजी का संचार किया है

छ) फरवरी 2019 में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि (एक सहायक) ने एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) में ₹10.70 करोड़ लगाए। एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी समान है।

(₹करोड़ में)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
उत्कल ग्रामीण बैंक	143.78
इलाकाई देहाती बैंक	5.48
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	8.91
नागालैंड ग्रामीण बैंक	0.48
योग	**158.65**

एसबीआई समूह का उक्त इस पूंजी निवेश के बाद भी वही है।

ज. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित एसबीआई प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी का समामेलन हुआ।

आरआरबी के समामेलन का ब्योरा, जहां ट्रांसफर किए गए आरआरबी को एसबीआई द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है, नीचे दिए गए हैंः -

	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का नाम	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का प्रायोजक बैंक	समामेलन के बाद आरआरबी का नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक का नाम	समामेलन की प्रभावी तिथि
1.	प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	1 अप्रैल 2019
	कावेरी ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			
2.	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1 अप्रैल 2019
	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			
3.	बड़ोदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ोदा			
	काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	बड़ौदा यूपी बैंक	बैंक ऑफ बड़ोदा	1 अप्रैल 2020
	पूर्वांचल बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के पत्र 06 फरवरी, 2019 और 14 फरवरी, 2019 के आधार पर प्रायोजक बैंकों की हिस्सेदारी का हस्तांतरण शेयरों के अंकित मूल्य पर हुआ है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान 207.93 करोड़ रुपये के नुकसान को ञ्अन्य आयट शीर्ष के तहत समेकित वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

ii) आरआरबी के समामेलन का विवरण, जहां ट्रांसफरी आरआरबी एसबीआई द्वारा प्रायोजित है, निम्नलिखित हैंः-

	ट्रांसफर करने वाली आरआरबी का नाम	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का प्रायोजक बैंक	समामेलन के बाद आरआरबी का नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक का नाम	समामेलन की प्रभावी तिथि
1.	झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	एसबीआई	01.04.2019
	वनांचल ग्रामीण बैंक	एसबीआई			

झ.) वर्ष 2020 के मार्च माह में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पुनर्निर्माण योजना के अनुसार एसबीआई ने यस बैंक लिमिटेड में 6,050 करोड़ रुपये का निवेश किया है। एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी 48.21% है।

यस बैंक लिमिटेड एसबीआई समूह का सहयोगी बन गया है। 14 मार्च, 2020 और एएस-23 ठसमेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकनड के अनुसार इक्विटी विधि का उपयोग करके समेकित किया गया है। एसस 23 के अनुसार, यस बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी अधिग्रहण के बाद कैपिटल रिजर्व प्रावधान 1947.53 करोड़ का किया गया है।

ञ) एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड एसबीआई की एक सहायक कंपनी है जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 25.05% है वह लिक्वीडेशन के अधीन है और इसलिए, लेखा परीक्षा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी में समेकन के लिए शामिल नहीं किया जा रहा है।

ट) चूंकि एसबीआई फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी कंपनी है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 (2) के तहत शामिल), उस पर लेखांकन मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

1.2 समूह के वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाडा बैंक) और तीन सहयोगियों (बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड और दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

2. शेयर पूंजीः

शेयर जारी करने के व्यय के संबंध में ₹ निरक (पिछले वर्षः ₹ 9.12 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते में डेबिट किए गए।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मद और लेखांकन में परिवर्तन ।

- वर्ष के दौरान, मैटिरियल पूर्व अवधि के आय/व्यय के कोई मद नहीं थे
- सहयोगियों में निवेश के संबंध में पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में अपनाए गए वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस बदलाव का 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

3.2 लेखा मानक- 15 "कर्मचारी हितलाभ":

3.2.1 नियत हितलाभ योजनाएं

3.2.1.1 पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना

नीचे दी गई तालिका लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	95,362.15	87,786.56	12,378.30	13,025.81
वर्तमान सेवा लागत	953.34	1,060.57	471.10	430.32
ब्याज लागत	7,428.71	6,812.24	960.76	1,012.43
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक हानि / (लाभ)	13,619.61	6,434.95	1,247.21	(89.76)
प्रदत्त लाभ	(3,914.34)	(3,966.53)	(1,967.24)	(2,000.50)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(3,619.10)	(2,765.64)	-	-
31 मार्च 2020 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	1,09,830.37	95,362.15	13,090.13	12,378.30
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2019 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	90,399.61	85,249.60	10,493.46	9,263.16
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7,015.01	6,615.37	815.36	721.37
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,407.68	2,391.18	1,183.65	2,404.93
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.28	0.34	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,914.34)	(3,966.53)	(1,967.24)	(2,000.50)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,550.28	109.65	249.87	104.50
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	97,458.52	90,399.61	10,775.10	10,493.46
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2020 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,09,830.37	95,362.15	13,090.13	12,378.30
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	97,458.52	90,399.61	10,775.10	10,493.46
कमी/(अधिशेष)	12,371.85	4,962.54	2,315.03	1,884.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	12,371.85	4,962.54	2,315.03	1,884.84
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि				
देयताएं	1,09,830.37	95,362.15	13,090.13	12,378.30
संपत्ति	97,458.52	90,399.61	10,775.10	10,493.46
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त नेट लायबिलिटी / (एसेट)	12,371.85	4,962.54	2,315.03	1,884.84
गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	12,371.85	4,962.54	2,315.03	1,884.84
शुद्ध लागत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है				
वर्तमान सेवा लागत	953.34	1,060.57	471.10	430.32
ब्याज लागत	7,428.71	6,812.24	960.76	1,012.43
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(7,015.01)	(6,615.37)	(815.36)	(721.37)
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	(0.28)	(0.34)	-	-
विगत सेवा लागत (परिशोधित) मान्यता प्राप्त	-	-	-	-
लेखे में लिया गया विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	2,707.50
वर्ष के दौरान लेखे में शामिल शुद्ध बीमांकिक हानि /लाभ	12,069.33	6,325.30	997.34	(194.26)
अनुसूची 16 में शामिल परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान"	13,436.09	7,582.40	1,613.84	3,234.62

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का सामंजस्य				
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित लाभ	7,015.01	6,615.37	815.36	721.37
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	1,550.28	109.65	249.87	104.50
योजना आस्ति पर वास्तविक लाभ	8,565.29	6,725.02	1,065.23	825.87
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,884.84	1,055.15
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	13,436.09	7,582.40	1,613.84	3,234.62
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(3,619.10)	(2,765.64)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,407.68)	(2,391.18)	(1,183.63)	(2,404.93)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	12,371.85	4,962.54	2,315.05	1,884.84

31 मार्च, 2020 तक ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का%	योजना आस्तियों%
केंद्र सरकार की प्रतिभूति	23.60%	19.05%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	36.89%	36.14%
डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट सिक्योरिटीज और बैंक डिपॉजिट्स	30.68%	25.85%
म्यूचुअल फंड्स	3.36%	3.46%
बीमाकर्ता प्रबंधित फंड	2.56%	12.54%
अन्य लोग	2.91%	2.96%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

Particulars	पेंशन योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.83%	7.79%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.83%	7.79%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.40%	5.20%
पेंशन वृद्धि दर	0.80%	0.40%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.84%	7.77%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.40%	5.20%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

अगले वर्ष के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में अपेक्षित योगदान क्रमशः 2,348.90 करोड़ रुपये और 1,420.97 करोड़ रुपये है।

भारतीय स्टेट बैंक के मामले में चूँकि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर में गणना की गई है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए।

3.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन ठशून्यड देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2019 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	30,928.72	30,298.65
वर्तमान सेवा लागत	1,045.98	965.04
ब्याज लागत	2,495.99	2,507.55
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,166.46	1,377.59
बीमांकिक हानि (लाभ)	220.06	-
प्रदत्त लाभ	(4,112.66)	(4,220.11)
31 मार्च 2020 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	31,744.55	30,928.72
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2019 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	32,630.54	31,874.25
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,495.99	2,507.55
अंशदान	2,212.43	2,342.63
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	(467.66)	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,112.66)	(4,220.11)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(109.92)	126.22
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	32,648.72	32,630.54
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2020 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	31,744.55	30,928.72
31 मार्च 2020 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	32,648.72	32,630.54
कमी/(अधिशेष)	(904.17)	(1,701.82)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	904.17	1,701.82

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1,045.98	965.04
ब्याज लागत	2,495.99	2,507.55
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,495.99)	-2,507.55
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 ठकर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधानड में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	1,045.98	965.04
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1045.98	965.04
नियोक्ता का अंशदान	(1045.98)	(965.04)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का % % of Plan Assets
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	34.56%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	28.16%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	31.28%
म्यूचुअल फंड	2.58%
अन्य	3.42%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.50%	8.55%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.40%	5.20%

i) एसबीआई कर्मचारी भविष्यनिधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी:

क. पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक: या

ख. तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की भविष्य निधि जिसका प्रबंध एक न्यास द्वारा किया जाता है, के नियमों में यह दिया गया है कि यदि न्यास बोर्ड इस कारण से कि निवेश पर आय कम हुई है या अन्य किसी कारण से उस दर से ब्याज अदा करने में असमर्थ हैं जो दर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए घोषित की जाती है तब कम पड़ने वाली राशि की पूर्ति इस कंपनी द्वारा की जाएगी।

3.2.2 नियत अंशदान योजना

3.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह (नोट 3.2.1.2 में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर) द्वारा भविष्य निधि योजना के लिए ₹47.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹32.79 करोड़) की राशि अंशदान की गई है और उसे लाभ एवं हानि खाते में "कर्मचारी को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

3.2.2.2 नियत अंशदान पेंशन योजना

अगस्त 1, 2010 या उसके बाद एसबीआई की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एसबीआई ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंध नई पेंशन योजना एनपीएस न्यास द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹451.97 करोड़ का अंशदान किया (पिछले वर्ष ₹541.79 करोड़) था।

3.2.2.3 परिभाषित अंशदान योजनाओं की दिशा में निम्नलिखित राशि समूह द्वारा प्रदान की जाती है (एसबीआई को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	पीएफ अधिनियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना	28.33	21.36
2	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	5.78	3.86
3	अन्य	8.41	9.89
योग		**42.52**	**35.11**

3.2.3 दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (वित्त रहित दायित्व):

3.2.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शाई गई हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	6,876.64	6,248.59
Current Service Cost	288.00	261.33
ब्याज लागत	534.13	485.98
देयता में हस्तांतरित / अधिग्रहण	772.70	741.84
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	(929.32)	(861.10)
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	7,542.15	6,876.64
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	288.00	261.33
ब्याज लागत	534.13	485.98
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	772.70	741.84
अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,594.83	1,489.15
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	6,876.64	6,248.59
उपरोक्तानुसार व्यय	1,594.83	1,489.15
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(929.32)	(861.10)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	7,542.15	6,876.64

प्रमुख बीमांकिक अनुमान :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.84%	7.77%
वेतन वृद्धि	5.40%	5.20%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (उपर्युक्त तालिका में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर)

सेवानिवृत्ति पर किए जाने वाले अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए समूह द्वारा ₹28.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष ₹3.76 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों को 'भुगतान एवं उसके लिए प्रावधान शीर्षट में शामिल किया गया है।

3.2.3.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹26.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 38.55 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरणः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	20.67	35.80
2	रुग्ण अवकाश	(0.26)	2.11
3	रजत जयंती / दीर्घावधि सेवा अवार्ड	7.96	12.64
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	1.01	(4.15)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(3.21)	(7.85)
	योग	26.17	38.55

3.1.4 उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मचारी हित लाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में है। विदेश स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को उक्त योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।

3.3 लेखा मानक - 17 'खंडवार सूचना'

3.3.1. खंड अभिनिर्धारण

ए) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैः-

- खजाना (ट्रेजरी)

- कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग

- खुदरा बैंकिंग

- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्सट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

क. **ट्रेजरी-** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ख. **कॉरपोरेट/थोकबैंकिंग-** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉरपॅरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग. **खुदरा बैंकिंग-** खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

घ. **बीमा व्यवसाय** - बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ. **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इस खंड में भी समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

बी. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

क) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ख) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

ग. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मूलतः प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं ट्रेजरी खंड, खुदरा बैंकिंग खंड से ही निधियां प्राप्त करते हैं। बाजार संबद्ध निधि अंतरण मूल्यन (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है, इसके अंतर्गत निधीयन केंद्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। निधीयन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाओं और उधारियों के रूप में उगाही गई निधियों को कल्पित (नोशनल) रूप से खरीदता है तथा आस्ति सृजन में लगी वसाय इकाइयों को कल्पित विक्रय करता है।

घ. आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

ऐसी आय, व्यय, सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जो समग्रतः उद्यम से संबंधित होती है और जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

3.2.1. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय (विशेष मदों से पूर्व)	75,104.23	91,801.08	1,31,232.17	52,947.77	14,272.32	3,65,357.57
	(77,713.33)	(80,139.68)	(1,21,250.27)	(43,417.32)	(11,643.14)	(3,34,163.74)
गैर-आबंटित आय						168.15
						(903.54)
घटाएंः अंतरखंडीय आय						3,296.63
						(4,846.40)
कुल आय						3,62,229.09
						(3,30,220.88)
परिणाम(विशेष मदों से पूर्व)	9,202.09	-3,830.03	18,173.66	2,367.02	3,165.05	29,077.79
	(6,593.12)	(-15,889.35)	(12,837.52)	(2,114.81)	(2,290.57)	(7,946.67)
जोड़ेंः विशेष मदें	5,781.56					5,781.56
	(466.48)					(466.48)
परिणाम (विशेष मदों के पश्चात्)	14,983.65	-3,830.03	18,173.66	2,367.02	3,165.05	34,859.35
	(7,059.60)	(-15,889.35)	(12,837.52)	(2,114.81)	(2,290.57)	(8,413.15)
गैर-आबंटित आय (+)/व्यय(-) निवल						(4,542.76)
						(-3,192.67)
कर पूर्व लाभ/ (हानि)						30,316.59
						(5,220.48)
कर						12,139.76
						(2,151.41)
असाधारण लाभ						0.00
						(0.00)
सहयोगियों के लाभ में हिस्से से पूर्व निवल लाभ/(हानि) और अल्पांश हित						18,176.83
						(3,069.07)
जोड़ेंः सहयोगियों के लाभ में हिस्सा						2,963.14
						(281.48)
घटाएंः अल्पांश हित						1,372.17
						(1,050.91)
समूह के लिए निवल लाभ/ हानि						19,767.80
						(2,299.64)
अन्य सूचना:						
खंड आस्तियां	11,35,750.90	12,00,452.76	15,83,362.39	1,74,612.94	43,899.44	41,38,078.43
	(10,00,105.22)	(11,54,958.34)	(14,93,139.12)	(1,53,352.63)	(33,271.02)	(38,34,826.33)
गैर आबंटित आस्तियां						59,413.91
						(53,637.87)
कुल आस्तियां						41,97,492.34
						(38,88,464.20)
खंड देयताएं	10,08,550.01	11,77,433.80	14,78,049.72	1,63,726.93	32,442.25	38,60,202.71
	(8,28,452.00)	(11,77,656.01)	(14,04,930.51)	(1,43,952.42)	(24,650.45)	(35,79,641.39)
गैर आबंटित देयताएं						86,229.51
						(74,327.15)
कुल देयताएं						39,46,432.22
						(36,53,968.54)

(i) आय/व्यय पूरे वर्ष के लिए है। परिसंपत्तियां/देनदारियां 31 मार्च, 2020 तक हैं।

(ii) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय परिचालन		विदेशी परिचालन		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पूर्व)	3,44,982.70	3,13,646.59	17,246.39	16,574.29	3,62,229.09	3,30,220.88
निवल लाभ /हानि	15,297.21	(2,151.64)	4,470.59	4,451.28	19,767.80	2,299.64
आस्तियाँ	37,09,504.22	34,50,714.98	4,87,988.12	4,37,749.22	41,97,492.34	38,88,464.20
देयताएँ	34,65,172.72	32,22,552.87	4,81,259.50	4,31,415.67	39,46,432.22	36,53,968.54

(i) आय/ व्यय संपूर्ण वर्ष के लिए है। आस्तियां/ देयताएं 31 मार्च 2020 के लिए हैं।

(ii) 31 मार्च 2020 के लिए

3.4 लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्षों का प्रकटन"

3.4.1 समूह के संबंधित पक्ष

क. संयुक्त उद्यम:

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज लि.
2. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
8. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ख. सहयोगी :

i.) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. पूर्वांचल बैंक
10. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
11. उत्कल ग्रामीण बैंक
12. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
13. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
14. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
15. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
3. यस बैंक लि. (w.e.f. 14.03.2020)
4. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

ग. एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
2. श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग
3. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)
4. श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट ग्राहक समूह एवं आईटी)
5. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, प्रबंध निदेशक (तनाव ग्रस्त आस्तियां) (02.01.2020 से)
6. श्रीमती अंशुला कांत, प्रबंध निदेशक (तनाव ग्रस्त आस्तियां जोखिम एवं अनुपालन) (30.08.2019 तक)

3.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए:

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3.4.3 Transactions and Balances:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण प्रबंधन निजी एवं संबंधी	योग
वर्ष 2019-20 को दौरान लेन देन			
ब्याज आय	4.94 (0.01)	- (-)	4.94 (0.01)
ब्याज ब्यय	0.82 -	- (-)	0.82 -
लाभांश से अर्जित आय	18.56 (22.19)	- (-)	18.56 (22.19)
अन्य आय	0.97 (0.90)	(-)	0.97 (0.90)
अन्य व्यय	4.17 (2.28)	- (-)	4.17 (2.28)
जमीन/भवन/अन्य आस्तियों के विक्रय से आय	- (-)	- (-)	- (-)
प्रबधन कंट्रैक्ट	3.77 (1.92)	1.38 (1.32)	5.15 (3.24)
31 मार्च 2020 को बकाया			
उधारियां	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	748.31 (47.18)	- (-)	748.31 (47.18)
अन्य देयताएं	28.35 (0.29)	- (-)	28.35 (0.29)
मांग एवं अल्प सूचना पर बैंक के पास शेष धन	300.00 (-)	- (-)	300.00 (-)
निवेश	11,015.61 (108.31)	- (-)	11,015.61 (108.31)
अग्रिम	113.50 (-)	- (-)	113.50 (-)
अन्य आस्तियां	229.52 (217.55)	- (-)	229.52 (217.55)
नॉन फंड कमिटमेंट्स (एल सी/बीजीएस)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधारियां	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	768.92 (207.32)	- (-)	768.92 (207.32)
अन्य देयताएं	28.35 (0.29)	- (-)	28.35 (0.29)
मांग एवं अल्प सूचना पर बैंक के पास शेष धन	300.00 (-)	- (-)	300.00 (-)
अग्रिम	113.50 (-)	- (-)	113.50 (-)
निवेश	11,015.61 (108.31)	- (-)	11,015.61 (108.31)
अन्य आस्तियां	229.52 (223.85)	- (-)	229.52 (223.85)
नॉन फंड कमिटमेंट्स (एल सी/बीजीएस)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान कोई भौतिक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन नहीं है।

3.5 लेखा मानक -19 "पट्टे":

3.5.1 वित्तीय पट्टा

01 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियाः वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	42.59	24.58
1 से 5 वर्ष	105.50	65.08
5 वर्ष और उससे अधिक	28.47	-
योग	**176.56**	**89.66**
ब्याज लागत देय राशियां		
1 वर्ष से कम	8.86	6.03
1 से 5 वर्ष	14.72	7.89
5 वर्ष और उससे अधिक	3.69	-
योग	**27.27**	**13.92**
न्यूनतम पट्टा भुगतान देय राशियों का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	33.73	18.55
1 से 5 वर्ष	90.78	57.19
5 वर्ष और उससे अधिक	24.78	-
योग	**149.29**	**75.74**

3.5.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ निवास शामिल हैं, जो समूह इकाइयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं।

रद्द होने योग्य नहीं परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता नीचे प्रस्तुत की गई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	165.73	188.39
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	496.10	558.54
5 वर्ष के पश्चात	112.22	120.46
योग	774.05	867.39

इस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹3,556.87 करोड़ (पिछले वर्ष 8,522.61 करोड़).

3.6 लेखा मानक-20 'प्रति शेयर उपार्जन'

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूल आय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात समेकित (आधी हिस्सेदारी वाली संस्थाओं को छोड़कर) निवल लाभ/(हानि) बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल एवं कम किया हुआ		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,87,534
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	Nil	24,000
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,91,479
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,91,479
निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	19,767.80	2,299.64
प्रति शेयर मूल आय (₹)	22.15	2.58
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	22.15	2.58
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

3.7 लेखा मानक- 22 'आय पर कर का लेखांकन'

i) वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹7502.08 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए गए हैं। (पिछले वर्ष ₹878.16 करोड़ क्रेडिट किया गया)

ii) आस्थगित कर की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	6,468.85	5,363.60
अग्रिमों के लिए प्रावधान	3,067.95	4,404.39
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	665.72	753.11
बट्टे का परिशोधन संचित हानि पर	105.22	10,863.94
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	809.99	235.77
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	146.56	50.00
डीटीए एसबीआई विदेशी कार्यालयों से	253.16	277.68
अन्य	180.50	220.38
योग	**11,697.95**	**22,168.87**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	96.86	99.44
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	4,563.17	6,389.76
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,531.63	4,690.10
डीटीएल एसबीआई विदेशी कार्यालयों से	6.16	2.33
अन्य	6.54	8.22
योग	8,204.36	11,189.85
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	3,493.59	10,979.02

iii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर के प्रावधान को मानते हुए एसबीआई और कुछ समूह संस्थाओं ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत अनुमत न्यूनतम टैक्स दर के विकल्प का प्रयोग किया है। तदनुसार, एसबीआई और कुछ समूह संस्थाओं ने उक्त खंड में निर्धारित टैक्स दर के आधार पर 31 मार्च, 2019 को अपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को फिर से मापा है और मैट क्रेडिट को रिवर्स किया है ।अब अपने पास नहीं रखा है। इन बदलावों का असर 3,166.37 करोड़ रुपये (शुद्ध अल्पसं ब्याज) का एकमुश्त चार्ज है जो समूह के कर खर्चों में शामिल है।

3.8 लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति"

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

3.9 लेखा मानक - 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियांट

➢ **लाभ एवं हानि खाते में शामिल किए गए प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं" का विश्लेषण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान हेतु प्रावधान		
	- वर्तमान कर	4,372.77	1,982.02
	- आस्थगित कर	7,502.08	878.16
	- आय कर का प्रतिलेखन	264.91	(708.77)
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	44,072.90	55,343.42
ग)	पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(224.01)	(89.85)
घ)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(291.37)	20.51
ङ)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	628.11	(606.00)
च)	अन्य प्रावधान	603.07	131.03
	योग	**56,928.46**	**56,950.52**

(कोष्ठ के आंकड़े ऋण दर्शाते हैं)

➢ **अस्थिर प्रावधान:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक शेष	193.75	193.75
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ)	**इतिशेष**	193.75	193.75

➢ **आकस्मिक देयताओं के विवरण (लेखा मानक-29):**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक एवं उसके संघटक विभिन्न कार्यवाहियों के पक्ष होते हैं। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/ उद्यम निधि पर देयता	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	समूह अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती हैं। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में समूह, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः समूह की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ऑप्शंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, एसबीआई द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत एसबीआई की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्धृत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

➢ **आकस्मिक देनदारियों के विषय में प्रावधानों में प्रगति:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक शेष	534.75	526.29
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	137.34	113.95
ग)	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	7.13	66.22
घ)	वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	31.24	39.27
ङ)	इतिशेष	633.72	534.75

4. समूह इकाइयों के बीच अंतर-बैंक/कंपनी शेषों का सतत आधार पर समाधान किया जा रहा है। चालू वर्ष में लाभ एवं हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5. आरबीआई के सर्कुलर परिपत्र नं. डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019, के अनुसार यदि आरबीआई द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त आकलित प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले सूचित लाभ के 10% से अधिक है और/या अतिरिक्त सकल एनपीए आरबीआई द्वारा पहचाने गए संदर्भित

अवधि के लिए प्रकाट वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक है तो बैंकों को आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से भिन्नता का खुलासा करना आवश्यक है

तदनुसार, निम्नलिखित प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विचलन के संबंध में किया गया:-

आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए के लिए प्रावधान में फर्क

	विवरण	(₹ करोड़ में)
1.	31 मार्च, 2019 को एसबीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	1,72,750
2.	आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए का आकलन	1,84,682
3.	सकल एनपीए में फर्क (2-1)	11,932
4.	एसबीआई अनुसार 31 मार्च, 2019 को रिपोर्ट किया गया शुद्ध एनपीए	65,895
5.	आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2019 को शुद्ध एनपीए का आकलन	77,827
6.	शुद्ध एनपीए में फर्क (5-4)	11,932
7.	एसबीआई अनुसार 31 मार्च, 2019 तक रिपोर्ट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	1,06,856
8.	आरबीआई द्वारा आकलन किए गए 31 मार्च, 2019 तक एनपीए के लिए प्रावधान	1,18,892
9.	प्रोविजनिंग में फर्क (8-7)	12,036
10.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात (पीएटी) के बाद शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया गया	862
11.	प्रावधान में विचलन को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर (पीएटी) के बाद समायोजित (काल्पनिक) शुद्ध लाभ	(-)6,968

एसबीआई ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान उक्त विचलन के खिलाफ पूरा प्रावधान किया है।

6. आरबीआई के परिपत्र सं.डीओआर सं. बीपीबीसी 63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 एसबीआई के मामले में कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान नीचे है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
i.	संबंधित राशि जहां मोरेटोरियम / स्थगन बढ़ाया गया।	5,63,896.15
ii.	उपरोक्त (i) राशि में से जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया है।	6,250.31
iii.	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1,172.00

7. वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के रूप में घोषित अग्रिम खाते के मामले में, एसबीआई ने चार तिमाहियों में प्रावधान करने के लिए चुना है। आरबीआई के सर्कुलर डीबीआर के संदर्भ में 31 मार्च, 2020 तक 5,230.37 करोड़ रुपये की अमोघ प्रावधान राशि को "अन्य भंडारों" को क्रेडिट द्वारा "अन्य भंडार" में डेबिट कर दिया गया है। नं.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल 2016.

8. काउंटर चक्रीय प्रोविजनिंग बफर (सीसीपीबी)

आरबीआई ने सर्कुलर नंबर एक पर डीबीआर। नं BP.BC.79 /21.04.048/201415 दिनांक 30 मार्च, 2015 बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए बैंकों को 31 दिसंबर, 2014 तक उनके द्वारा धारित सीसीपीबी के 50 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

वर्ष के दौरान, एसबीआई ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

9. दिवाला और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर खातों के लिए, आरबीआई के पत्र क्र.डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04048/2016-17 और डीबीआर सं.बीपी. 1906/21.04.048/2017-18 क्रमशः दिनांकित 23 जून 2017 और 28 अगस्त 2017 एसबीआई में 31 मार्च, 2020 तक 5,761.46 करोड़ रुपये (कुल बकाया का 93.53%) का कुल प्रावधान है।

10. एसबीआई ने 01 नवंबर, 2017 को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2,999 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2020 तक 8,642.41 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया है।

11. अनुसूची 14 "अन्य आय" के तहत निवेश (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ / (हानि) में शामिल हैं:

i. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर 3,190.97 करोड़ रुपए

ii. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर 2,590.59 करोड़ रुपये

12. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रस्ताव

आरबीआई के परिपत्र डीबीआर क्र. बीपी.बीसी.45/21.04.048/201819 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार एसबीआई ने अपने 9 उधारकर्ताओं के लिए जिनके पास 31 मार्च 2020 तक 14,487.28 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है प्रस्ताव योजनाएं लागू की हैं।

इसके अलावा आरबीआई के परिपत्र डीओआर क्र. बीपी बीसी 62/21.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसारको सबीआई ने अपने 4 कर्जदारों के लिए प्रस्ताव अवधि बढ़ा दी है, जिनके पास 31 मार्च 2020 तक 1,006.91 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है।

13.आरबीआई ने 19 मई 2020 के एक ईमेल के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी कि ठक्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलताड वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए वैकल्पिक है।

एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बाद से स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट करने का विकल्प किया है।

14. दुनिया भर में COVID-19 के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में हालांकि चुनौतियां लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन एसबीआई इससे निपटने के लिए सभी मोर्चों पर खुद को तैयार कर रहा है । स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और एसबीआई सतत आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है । एसबीआई के लिए बड़ी चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र और नकदी

प्रवाह में गिरावट से पैदा होंगी। इन शर्तों के बावजूद एसबीआई की तरलता और लाभप्रदता पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा ।

आरबीआई ने अधिसूचना सं.आरबीआई/2019-20/186 डीओआर संख्या बीपी बीसी 47/21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च 2020, COVID-19 द्वारा महामारी के कारण अवरोधों द्वारा उत्पन्न ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करने और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में भुगतान-टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल सुविधाओं का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना, विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) आदि के रूप में वर्गीकरण शामिल है । तदनुसार बैंक ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं

- 6,250 करोड़ रुपये के बकाया वाले खातों के विरुद्ध 15 प्रतिशत की दर से 938 करोड़ रुपये का प्रावधान जो 29 फरवरी, 2020 तक मानक था लेकिन 31 मार्च 2020 तक एनपीए/अवमममानक श्रेणी में आ गया होता, क्योंकि 31 मार्च 2020 को आरबीआई के ऋण सेवा राहत की गणना नहीं की गई थी।
- उपरोक्त खातों के संबंध में, परिचालन लाभ में 234 करोड़ रुपये की ब्याज आय की गणना की गई है। हालांकि स्टैंडर्ड एसेट्स के एवज में 234 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

15. एसबीआई ने 30 जून2019 को अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है (पहले जून 2016 में पुनर्मूल्यांकन) बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकों से प्राप्त रिपोर्टों और 31 मार्च, 2020 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के समापन शेष के आधार पर, (जनरल रिजर्व को हस्तांतरित राशि का शुद्ध) 23,762.67 करोड़ रुपये (पिछले साल 24,653.94 करोड़ रुपये) है।

16. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संबंध में आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 (1) के तहत आदेश संख्या आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी /विविध/228/10/212 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 द्वारा मास्टर पॉलिसी धारकों को भुगतान किए जाने वाले गए प्रशासनिक शुल्क 84.32 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 84.32 करोड़ रुपए) को वितरित करने के निर्देश जारी किए हैं। कंपनी ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने 04 नवंबर, 2015 को मामले को वापस आईआरडीएआई को रिमांड पर लिया था। आईआरडीएआई ने 5 अक्टूबर, 2012 को जारी निर्देशों को दोहराते हुए 11 जनवरी, 2017 को और निर्देश जारी किए। कंपनी ने प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के साथ उक्त निर्देशों/आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है जिसके संबंध में अंतिम निर्धारण लंबित है।

उपर्युक्त मामले में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कंपनी की वित्तीय राशि में आकस्मिक देयता के रूप में एक अपेक्षित राशि दिखाई है।

17. एसबीआई द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार इसे फिर से बताने के बजाय आईआरडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जीवन और सामान्य बीमा सहायक कंपनियों के निवेश का हिसाब लगाया गया है। बीमा सहायक कंपनियों का 31 मार्च, 2020 तक कुल निवेश लगभग 13.34% है (पिछले वर्ष 12.74%) ।

18. आरबीआई परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के अनुसार मोचनीय अधिमानी शेयरों (यदि कोई हों) को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में समझा गया है।

19 . वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य वर्गीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं है आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

20. आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप पहली बार चालू वर्ष के वर्गीकरण से मिलान के लिए जहाँ भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्वर्गीककृत किया गया है, अतः पिछले वर्ष के आंकड़ें नहीं दिए गए हैं।

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एमडी (आर एंड डीबी)	**श्री अरिजित बसु** एमडी (सीसीजी एवं आईटी)	**श्री दिनेश कुमार खारा** एमडी (जीबीएस)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री राजेश सेठी
पार्टनर
स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (सहयोगियों के लाभ का हिस्सा सहित परंतु अल्पांश हित को घटाकर)		31907,55,94	4451,05,72
समायोजन:			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास		3661,55,85	3495,89,21
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		28,33,75	32,35,82
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल))		-	2124,03,82
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(5573,62,96)	(466,47,81)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		43848,89,01	55253,57,08
मानक आस्तियों पर प्रावधान		(291,36,52)	20,50,53
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		626,52,21	(606,00,24)
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		604,65,49	131,02,52
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा		(2963,14,04)	(281,47,94)
सहयोगियों से लाभांश		(14,66,77)	(11,71,87)
पूंजी लिखतों पर ब्याज		4908,09,07	4222,27,24
		76742,81,03	**68365,04,08**
परिवर्तन:			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		333619,56,43	218362,77,89
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		(89342,80,87)	41290,72,22
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(100670,42,40)	63373,44,50
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(191306,40,41)	(321988,70,29)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)		31602,72,76	4182,31,31
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(21857,44,26)	(35854,36,00)
		38788,02,28	37731,23,71
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(14859,49,11)	(8175,23,21)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**23928,53,17**	**29556,00,50**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(6031,06,06)	(63,53,05)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		5573,62,96	466,47,81
सहयोगियों से लाभांश		14,66,77	11,71,87
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में (वृद्धि) / कमी		(3065,01,13)	(3005,51,02)
समेकन पर साख में (वृद्धि) / कमी		184,08,19	1734,07,01
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(3323,69,27)**	**(856,77,38)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
(27 मार्च 2018 को जारी एवं आबंटित शेयरों पर व्यय/ जारी करने के व्ययों को घटाकर इक्विटी शेयरों के निर्गम से प्राप्त राशि)		-	(8,74,22)
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / मोचन		8495,81,80	3377,60,00
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(4908,09,07)	(4222,27,24)
प्रदत्त लाभांश पर कर सहित		-	-
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदत्त लाभांश		(65,04,00)	(120,69,39)
अल्पांश हितों में वृद्धि / (कमी)		1906,83,07	1421,74,62
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**5429,51,80**	**447,63,77**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**2768,64,27**	**1076,28,67**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**28802,99,97**	**30223,15,56**
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**225512,26,39**	**195289,10,83**
अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**254315,26,36**	**225512,26,39**
नोट:			
1) नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति:		**31.03.2020**	**31.03.2019**
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां		166968,46,05	177362,74,09
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य : शेष		87346,80,31	48149,52,30
योग		**254315,26,36**	**225512,26,39**

2) परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा रिपोर्ट किया गया।

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
एमडी
(आर एंड डीबी)

श्री अरिजित बसु
एमडी
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी
(जीबीएस)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री राजेश सेठी
पार्टनर
स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मैडम कामा रोड, मुंबई

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 के समेकित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि खाते तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ - साथ अन्य विवरणात्मक सूचना जिसमें शामिल है:

क. बैंक के लेखा परीक्षित परिणाम जिसे हमारे साथ-साथ केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा समीक्षा की गई है;

ख. 27 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 16 सहयोगियों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा की गई है (14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित); और

ग. 1 अनुषंगी और 2 एसोशिएट (1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)

उपरोक्त इकाइयों को बैंक "समूह" के संदर्भ में लिया गया है।

हमारी अभिमत में और हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सहायक और सहयोगियों के अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हैं और जो:

क) 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र में समूह की सही और उचित स्थिति;

ख) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

ग) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आगार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियांट भाग में दी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से की गई है। हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने अपना अभिमत देने के लिए जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

मामले पर जोर

3. हम आपका ध्यान कोविद-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 14 की ओर आकर्षित करते हैं। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक चुनौतियों के संबंध में निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है ।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का समग्र समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र . सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामल	लेखापरीक्षकों का उत्तर
i	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों (अनुसूची 9 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पढ़ी जाए) के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान। अग्रिमों में खरीदे गए और भुनाए गए बिल, कैश क्रेडिट्स, मांग पर चुकौती योग्य ओवरड्राफ्ट ऋण और सावधि ऋण सम्मिलित हैं। इन्हें आगे मूर्त परिसंपत्तियों (बही ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित), बैंक/सरकार की गांरटियों द्वारा प्रत्याभूत और अप्रतिभूत अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	हमारी अग्रिमों की लेखापरीक्षा कार्यविधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों और अन्य संबंधित परिपत्रों/निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भानुसार निम्नलिखित की परीक्षा भी की गई है: क. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामल	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	अग्रिमो मैं बैंक के कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 58. 85% है। इन पर अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आय निर्धारण. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनमें अग्रिमों अर्जक और अर्जक अनर्जक वर्गीकरण संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं, सिवाय विदेश स्थित कार्यालयों, अग्रिम वर्गीकरण और उनके प्रावधाननीकरण स्थानीय विनियमों और भारतीय स्टेट बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति सं.3 के अनुसार आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में की उचित व्यवस्था स्थापित करना शामिल होता है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में रखता है जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जाती है। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए यह समेकित वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। तदनुसार, इनमें दी गई जानकारी के महत्व को देखते हुए हमारी लेखापरीक्षा अग्रिमों से संबंधित आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर केंद्रित रही है।	ख. मॉनीटरिंग व्यवस्थाओं जैसे बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा व्यवस्था की उपलब्धता और प्रभावशीलता; ग. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र / दिशानिर्देश के अनुपालन के संबंध में तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच; घ. हमने बाहरी आईटी सिस्टम विशेषज्ञों की रिपोर्टों की भी सहायता ली है विशेषकर एनपीए का पता लगाने, पहचान करने और श्रेणी निर्धारण करने तथा अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने एवं उनके लिए प्रावधान करने हेतु सीबीएस में प्रयुक्त बिजनेस लॉजिक्स/पैरामीटर्स के संबंध में। ङ. भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर्युक्त परिपत्र/ निदेशों के अनुसार प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमने सीसीडीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के सॉफ्टवेयर के साथ अग्रिमों की मैपिंग की जांच की है। च. हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की भी परीक्षा की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी परीक्षा की है। ज. हमने अनर्जक निवेशो की पहचान करने और तदनुरूपी आय को रिवर्स करने एवं प्रावधान करने की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया। झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से चर्चा की है।
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 2 के साथ पढ़ी जाए) निवेशों में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 26.50% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निदेशों में अन्यों के साथ साथ निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक निवेशों की पहचान, तदनुरूपी आय का गैर निर्धारण तथा उनके लिए प्रावधान करने को भी शामिल किया गया है।	हमारी निवेशों की लेखापरीक्षा कार्यविधि में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/ निदेशों का डिजाइन की समीक्षा, परीक्षा, आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास का संदर्भ लेना शामिल है। विशेषकर: क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के संबद्ध दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का मूल्यांकन किया और उसे समझा; ख. हमने इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामल	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी (टाइप) की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार करना होता है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा/सूचना जैसे एफआईएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई, अनलिस्टिड कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण की प्राप्ति शामिल है। मूल्यांकन की जटिलताओं और विवेक प्रयोग तथा लेनदेनों की मात्रा और हस्तगत निवेशों की मात्रा और नियामक के इस पर फोकस को देखते हुए, इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही।	ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए, हमने इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी परीक्षा की। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए; घ. हमने एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; ङ. हमने सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियां अपनाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास की राशि की भी अलग से फिर से गणना की है। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की परीक्षा की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. हमने निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की परीक्षा की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति का पता लगाया जा सके।
iii	प्रावधानों एवं आकस्मिक देयताओं का कतिपय कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में निर्धारण, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तथा दूसरी पार्टियों द्वारा फाइल किए गए विभिन्न दावों सहित कुछ दावों को ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न करना (अनुसूची 12 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी 3.9 के साथ पढ़ी जाए): प्रोविजनिंग के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। जहाँ आवश्यक समझा गया, बैंक के आकलन के साथ साथ विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों का परामर्श भी लिया जाता है। तदनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हमने उपर्युक्त विषय को इन मामलों के परिणामों की अनिश्चितता और कानून की व्याख्या में विवेक प्रयोग को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा संबंधित मामलों के तथ्यों के विश्लेषण और कानूनी निर्णयों/व्याख्या पर केंद्रित रही।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल रहे:- क. लेखा परीक्षा संबंधी आंतरिक नियंत्रण को समझना, जिससे हम परिस्थितियों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा कार्य विधियां निर्धारित कर सकें। ख. कानूनी कार्यवाही/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना। ग. हाल के आदेशों और/या विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त सूचना और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की परीक्षा। घ. संबंधित मामलों में स्वतंत्र विधिक/कर संसूचना में प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में गुण-दोषों का मूल्यांकन। और; ङ. संबंधित मामलों में चर्चा की, विवरण प्राप्त कर बैंक की मंशाओं और परिणाम की संभाविता तथा उन प्रकरणों के कारण संभावित परिणाम बहिर्गमन की समीक्षा और मूल्यांकन का विश्लेषण। च. महत्वपूर्ण तकरारों एवं कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरणों का सत्यापन करना।

क्र . सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामल	लेखापरीक्षकों का उत्तर
iv	कोविद-19 महामारी फैलने की वजह से लेखापरीक्षा कार्यविधियों में संशोधन : कोविद 19 महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दूरस्थ व्यवस्था द्वारा लेखापरीक्षा कार्य करने के निदेश दिए गए, जहां भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था। शाखाओं/मंडल/प्रशासनिक/कॉरपोरेट कार्यालयों के अधिकारियों के साथ व्यक्तिशः/आमुख वार्ता/चर्चाओं एवं वैयक्तिक बातचीत के जरिए लेखापरीक्षा का प्रमाण हमारे द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के कारण हमने संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है। तदनुसार दूर से लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में संशोधन किया गया	कोविद 19 महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हम शाखाओं/मंडल/प्रशासनिक/कॉरपोरेट कार्यालयों की यात्रा कर नहीं पाएँ और संबद्ध कार्यालयों पर भौतिक रूप से लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरी कर नहीं पाएँ। जहां कहीं भी जाना संभव नहीं था, वहाँ डिजिटल माध्यम, ई-मेल एवं दूरस्थ व्यवस्था से सीबीएस, सीसीडीपी एवं अन्य संबद्ध एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की सुविधा के जरिए हमें आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज़/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों एवं अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा कार्य किया गया। वर्तमान अवधि के दौरान लेखापरीक्षा कार्य करने और रिपोर्टिंग के लिए इन पर लेखापरीक्षा प्रमाण का सहारा लिया गया। तदनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा कार्यविधियों में निम्नानुसार संशोधन किए हैं : क. जहां जाना संभव नहीं था, वहाँ बैंक की कुछ शाखाओं/स्थानीय प्रधान कार्यालयों/प्रशासनिक कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों का दूरस्थ व्यवस्था से/ई-मेल के जरिए आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों/सीबीएस/सीसीडीपी का सत्यापन किया। ख. ई-मेल के जरिए एवं बैंक के सुरक्षित नेटवर्क के दूर से उपयोग की सुविधा से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों एवं संबद्ध अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया। ग. वीडियो कान्फरेंसिंग, मोबाइल पर बातचीत एवं चर्चा, ई-मेल एवं ऐसे संवाद माध्यमों के जरिए पूछताछ करना एवं आवश्यक लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना। घ. हमारी लेखा परीक्षा टिप्पणियों का समाधान नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से किया गया।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अतिरिक्त सूचना

5. अन्य सूचना तैयार करने में बैंक का निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सम्मिलित हैं, (लेकिन इसमें समेकित बैंक के वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जारी करने के समय प्राप्त किया जाएगा और निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमें उस तिथि के बाद प्राप्त होनी है।

   बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना और बासेल III प्रकटीकरण को कवर नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

   बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

   यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

   यदि हम बैंक की निदेशक रिपोर्ट अनुलग्नकों सहित पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस से जुड़ें लोगों और प्रबंध मंडल के दायित्व

6. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक 23 "एसोशिएट में निवेश के समेकित वित्तीय विवरण" तथा लेखा मानक 27 "संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों

व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में यह भी शामिल है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की शर्तों के अनुसार लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाए, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जाए तथा उनका पता किया जाए, ऐसे निर्णय और आकलन किए जाएं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वियन व रखरखाव करें जो हम लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति सुसंबद्ध हो जो सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करे और वस्तुगत गलतबयानी से परे हों, चाहे ऐसा धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय संबंधित प्रबंधन का दायित्व है कि वह संबंधित समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक समूह का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

समूह संस्थाओं के निदेशक मंडल भी संबंधित समूह इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं ।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

7. हमारा उद्देश्य यह है कि बैंक के समेकित वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूसर्स द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में हैः

- समेकित वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उस पर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी की पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील समूह की संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, समूह की संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूज़र संभवतः प्रभावित हो सकता है। (i) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलोंकी जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हम चालू अवधि के बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

8. हमने समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया है:

क. हमने 13 संयुक्त लेखापरीक्षकों सहित समेकित वित्तीय विवरण में शामिल 9,169 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त बैंक के कुल अग्रिमों का ₹30,87,788.72 करोड़ और कुल ब्याज आय ₹1,20,151.17 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख. हमने 27 (सत्ताइस), 8 (आठ) संयुक्त उद्यम अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2020 को ₹2,60,823.39 करोड़ की कुल आस्ति, कुल राजस्व ₹69,349.38 करोड़ और शुद्ध बाह्य नकदी प्रवाह शामिल है वर्ष के लिए उस तारीख को समाप्त हो गया, जैसा कि समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में समूह के 16 (सोलह) सहयोगियों के ₹2,948.53 करोड़ के शुद्ध लाभ की हिस्सेदारी भी शामिल है जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ग. हमने 1 (एक) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2020 को ₹6,848.63 करोड़ की कुल संपत्ति को दर्शाते हैं तथा कुल राजस्व ₹256.09 करोड़ औरशुद्ध नकदी आंतरिक प्रवाह की राशि वर्ष के लिए समाप्त उस तारीख को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। 2 (दो) सहयोगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को समूह का ₹14.61 करोड़ शुद्ध लाभ भी शामिल है जिसकी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारा विचार समेकित वित्तीय वक्तव्यों के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

9. समूह की सहायक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और रिपोर्ट नहीं की गई उपचयित देयताओं (आईबीएनआर) और दावे जो उपचयित नहीं हैं और रिपोर्ट भी नहीं किए गए (आईबीएनईआर) के बीमांकक मूल्यांकन की जिम्मेदारी कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकक की है (नियुक्त बीमांकक)। 31 मार्च 2020 तक सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और ऐसी पॉलिसी जिनके प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है किंतु जिसकी देयता है उसे नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया गया है इस तरह के मूल्यांकन के लिए भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएड/डप्राधिकरण") और भारत के एक्चुएरी संस्थान के साथ सहमति में जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार है। सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और ऐसी पॉलिसी जिनके प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है के संबंध में हम इस संबंध में नियुक्त किए गए बीमांकक के प्रमाणपत्र पर भरोसा करते हैं अपना अभिमत बनाने के लिए इन पर ही भरोसा करते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 8 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

क. हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;

ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं; तथा

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं 001111N

(राजेश सेठी)
पार्टनर
सदस्यता सं. 085669
यूडीआईएनः 20085669AAAABB7435

स्थानः मुंबई
दिनांकः 05 जून, 2020